रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	852]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940
No.	852]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGRAHAYANA 12, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1159**(अ)**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अवर श्रेणी लिपिक, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा. -** इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार का निदेशक (कार्मिक) या उपसचिव (कार्मिक) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदित सेवा" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु0) में स्तर-1 में ऐसा बहुकार्य कर्मचारिवृन्द, जिसने कुल तीन वर्ष की सेवा की है जिसमें निर्णायक तारीख को उस वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में कम से कम दो वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;

(ग) "उपलब्ध रिक्ति" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाती है;

(घ) "निर्णायक तारीख" से रिक्ति वर्ष की जनवरी मास के पहली तारीख जिसमें ऐसे परीक्षा आयोजित की जाती है, अभिप्रेत है;

(ङ) "परीक्षा" से इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "भर्ती वर्ष" में एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो उनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में हैं।

3. **पात्रता की शर्तें. -** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु0) में स्तर-1 में ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द, जो निर्णायक तारीख को निम्नलिखित शर्त पूरा करते हैं, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:

(i) तीन वर्ष की कुल अनुमोदित सेवा पूरी कर लेना चाहिए जिसमे उस वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में कम से कम दो वर्ष की नियमित और निरन्तर सेवा सम्मिलित है;

(ii) परीक्षा की पात्रता की लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की लिए 50 वर्ष है);

(iii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा की परीक्षा पास की हो।

4. **परीक्षा का आयोजन. –** (1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की घोषणा करते समय परीक्षा की तारीख और स्थान तथा निर्धारित की गई उपलब्ध और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा। परीक्षा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् आयोजित की जाएगी, जो भर्ती वर्ष की 31 मार्च से पूर्व आयोजित की जा सकेगी।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या अधिसूचना में स्पष्टतः उपदर्शित की जाएगी।

5. **परिणाम. –** (1) परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों के नामों की एक योग्यता सूची, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों यदि कोई हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।

(2) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें उनके मानक नाम उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।

(3) योग्यता सूची अधिसूचित रिक्तियों क़े भरे जाने तक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख क़े 18 मास की अवधि तक या उस समय तक प्रवृत रहेगी जब तक की अगली योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, इनमे से जो भी पूर्वतर हो।

6. **नियुक्ति. –** किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन सम्बनधी कोई मामला लंबित नहीं है और योग्यता सूची में उसके नाम, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं को विचार में लेने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

7. **भर्ती की पद्धति. -** (i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सत्तर प्रतिशत (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा बीस प्रतिशत (iii) प्रोन्नति द्वारा दस प्रतिशत और (i) और (iii) न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।

8. **पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची में नाम का हटाया जाना. -** (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे किसी काडर बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है या जिसका नियम 3 में वर्णित पदों में से किसी पर धारणाधिकार नहीं है उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा।

(2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त वरीयता सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 में वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है, वहां उसे कनिष्ठ सचिवालीय सहायक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के प्रवृत्त

रहने की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना काम पुनः प्रारम्भ नहीं करता है।

परंतु यह कि प्रोफॉर्मा प्रोन्नति के लिए उसके दावे पर विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों और नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

9. **प्रतिरुपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति. –** कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित का दोषी है या उसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है –

(i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) प्रतिरुपण; या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुपण कराना; या

(iv) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिसमें गड़बड़ी की गई हो; या

(v) ऐसे कथन करना, जो सही नहीं है या मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छुपाते हैं; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना;

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना;

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या

(ix) खंड (i) और (viii) तक में विनिर्दिष्ट सभी या अन्य कार्य, यथास्थिति, करने का प्रयत्न करना या करने को दुष्प्रेरित करना;

दांडिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यवाहियों के दायित्वाधीन हो सकेगा –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा से निरर्हित किया जाना; या

(ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई। परंतु यह कि इस नियम के अधीन निम्नलिखित के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा जिससे कि वह इस आधार पर बनाना चाहता है; और

(ii) किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन को उसके द्वारा जारी की गई अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

10. **शिथिल करने की शक्ति. -** जहां नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के प्रचालन में व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग, प्रवर्ग का कोई अनुचित लाभ लेता है उसे नियम की अपेक्षाओं के साथ या उसके बिना शिथिलता प्रदान की जा सकती है जिससे इसके विस्तार और विषय के अधीन, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, प्रदान किया जाता है।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

परीक्षा निम्नलिखित दो भागों में संचालित की जाएगी, अर्थात्:-

भाग - 1

लिखित परीक्षा में अधिकतम दो सौ अंक होंगे, लिखित परीक्षा का विषय, प्रत्येक पेपर के लिए आबंटित अधिकतम अंक और अनुज्ञात की गई समय-सीमा निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-

पेपर	विषय	अधिकतम अंक	समय
1	(व्याख्यात्मक प्रकार) लघु निबंध (हिन्दी या अंग्रेजी)	100	2 घंटे
2	(वैकल्पिक प्रकार) भाषा (सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी) (50 प्रश्न)-50 अंक । सामान्य ज्ञान (50 प्रश्न)-50 अंक	100	2 घंटे

2. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:

जहां नियम, आदेश, निर्देश आदि का ज्ञान अपेक्षित है, अभ्यर्थियों से इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख के लिए जारी किए गए संशोधनों के साथ संगत होने की अपेक्षा की जाएगी।

पेपर -1

400-500 शब्दों का एक निबंध कई निर्दिष्ट विषयों में से किसी एक पर लिखा जाना है।

पेपर -2

अभ्यर्थियों का परीक्षण सरल संरचना और लागू व्याकरण, वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और हर दिन अवलोकन और अनुभव, भारत के बारे में सामान्य जानकारी के मामलों में किया जाएगा।

3. उम्मीदवारों को पेपर -1 और पेपर -2 पर या तो अंग्रेजी में या हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दिया जाता है।

टिप्पण 1.- विकल्प एक पूर्ण पेपर के लिए होगा, न कि एक ही पेपर में अलग-अलग प्रश्न के लिए।

टिप्पण 2.- हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में पूर्वोक्त पेपर का उत्तर देने के विकल्प का उपयोग करने के इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन प्ररूप में स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहिए, अन्यथा, यह माना जाएगा कि वे अंग्रेजी में पत्र का उत्तर देंगे।

टिप्पण 3.- एक बार उपयोग किए जाने वाले विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए किसी अन्य भाषा में परीक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

टिप्पण 4.- हिंदी (देवनागरी) में पेपर का उत्तर देने के विकल्प का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी हिंदी संस्करण के अलावा तकनीकी शर्तों के विवरण के ब्रैकेट के भीतर अंग्रेजी संस्करण दे सकते हैं।

4. गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वैकल्पिक प्रकार के पत्रों में)

वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा किए गए गलत उत्तर के लिए शास्ति (नकारात्मक चिह्न) होगा:

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एक गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न को सौंपा गया अंकों का एक चौथाई (0.25) शास्ति के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर के रूप में माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही हो और उस प्रश्न के लिए ऊपर जैसी ही शास्ति होगा।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं होगी।

5. भाग 1 में दो विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम अर्हता अंक 35 प्रतिशत होना चाहिए और कुल अंक 45 प्रतिशत होना चाहिए।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे।

7. वर्णनात्मक पत्र में अधिकतम अंक का 5 प्रतिशत तक की कटौती अवैध हस्तलेखन के लिए की जाएगी।

8. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र का मद (क) लघु निबंध या प्रश्न पत्र या दोनों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी में देने का विकल्प अनुज्ञात होगा।

9. जहां तक किसी अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकार्यता और उसकी पात्रता के सम्बन्ध में मंत्रालय के विनिश्चय का सम्बन्ध है, परीक्षा के लिए अन्यथा प्रवेश करने के लिए अंतिम विनिश्चय होगा।

10. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी दो पत्रों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवश्यक है। मंत्रालय परीक्षा के सभी या किन्हीं विषयों में न्यूनतम अर्हता अंक को नियत करने के लिए निदेशित किया है।

भाग -2

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दायित्व. – ऐसे अभ्यर्थी से, जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, कंप्यूटर पर (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाओ, के अवसर पर 10500 के केडीपीएच/9000 केडीपीएच के तत्स्थानी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) अंग्रेजी टंकण में प्रति मिनट 35 की या हिन्दी टंकण में प्रति मिनट 30 शब्द की न्यूनतम गति से उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी, टंकण परीक्षा के लिए सामग्री 10 मिनट की अवधि में टंकरण की जा सकने वाली सामग्री होगी।

[फा. सं. 1(11)/2016-पी.III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R. 1159(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information Technology, Lower Division Clerk's Grade, Departmental Competitive Examination Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Junior Secretariat Assistant in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Junior Secretariat Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition**. – In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) "appointing authority" means the Director or Deputy Secretary (Personnel) to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;

(b) "approved service" means Multi Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered a total of three years of service which should include at least two years of regular and continuous service in that level-1 in the pay matrix on the crucial date;

(c) "available vacancy" means a vacancy in the post of Junior Secretariat Assistant's grade in the Ministry of Electronics and Information Technology which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;

(d) "crucial date" means the first day of January of the year of the vacancies for which such examination is held;

(e) "examination" means the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Junior Secretariat Assistant held in the manner specified in the Schedule;

(f) "recruitment year" means the period commencing from the 1^{st} day of January and ending on the 31^{st} day of December of the same year;

(g) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

3. **Conditions of eligibility**. – Multi Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) in the Ministry of Electronics and Information Technology who satisfy the following conditions on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive examination:

(i) should have rendered a total of three years of approved service which should include at least two years of regular and continuous service in that level-1 in the pay matrix;

(ii) the maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years (50 years in case of the candidate belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes).

(iii) Passed 12^{th} Standard Examination from a recognised Board.

4. **Holding of the examination**. – (1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies assessed at the time of announcing the examination. The examination shall be conducted after the expiry of at least thirty days from the date of notifying the vacancies in the manner specified in the Schedule which may be held before the 31^{st} March of the recruitment year.

(2) The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of person, if any, shall be clearly indicated in the said notification.

5. **Results**. – (1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in Part I and Part II of the examination, a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year. The standards of evaluation for candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes shall be as per the Government instructions from time to time.

(2) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).

(3) The merit list shall remain in operation till the notified vacancies are filled up or upto a period of 18 months from the date of its approval by the appointing authority or till next merit list is approved by the appointing authority, whichever is earlier.

6. **Appointment**. – The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the appointing authority only after satisfying itself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

7. **Method of recruitment**. – (i) Seventy per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) twenty per cent. by Limited Departmental Competitive Examination; (iii) ten per cent. by promotion; and failing (i) to (iii) by deputation or absorption.

8. **Removal of name from merit list on resignation, etc**. - (1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any of the posts mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included in the said merit list shall be struck off therefrom.

(2) Where a candidate, whose name is included in the said merit list, is appointed to an ex-cadre post or is transferred to another department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any of the posts mentioned in rule 3, shall not be appointed as Junior Secretariat Assistant till he resumes the duties in the Ministry of Electronics and Information Technology on his initial post during the period the merit list remains in force:

Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders and rules of the Central Government, issued in his behalf from time to time.

9. **Penalty for impersonation or other misconduct**. - A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of –

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonation; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means in the examinations hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Ministry of all or any of the acts specified in clauses (i) to (viii);

may, in addition to the criminal proceedings, liable –

(a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or

(b) to disciplinary action, under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

10. **Power to relax**. – Where the Appointing Authority is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any class category of persons or posts, it may dispense with or relax the requirement of the rule to such extent and subject conditions, as it may consider necessary.

Schedule

(See rule 4)

The examination shall be conducted in the following two parts, namely:-

Part I

Written examination shall carry a maximum of 200 marks. The subject of the written examination, the maximum marks allotted to each paper and the time limit allowed shall be as follows, namely:-

Paper	Subject	Maximum Marks	Time
I	(Descriptive Type) Short Essay (Hindi or English)	100	2 hours
II	(Objective Type) Language (General English or Saamanya Hindi) (50 questions)-50 marks. General Knowledge (50 questions)-50 marks.	100	2 hours

2. Syllabus for examination:

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER-I

One Essay of 400-500 words to be written on any of the several specified subjects.

PAPER-II

Candidates will be tested in simple composition, and applied grammar, knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience, general information about India.

3. The candidates are allowed the option to answer on paper-I and Paper-II either in English or Hindi.

Note 1. - The option will be for a complete paper and not for different question in the same paper.

Note 2. - Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper in Hindi (Devnagari) or in English should indicate clearly in the application form, otherwise, it would be presumed that they would answer the paper in English.

Note 3. - The option once exercised shall be treated as final and no request for change shall be entertained later on. No credit shall be given for examination taken in a language other than the one opted for by the candidate.

Note 4. - Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE QUESTION PAPERS:

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

5. The minimum qualifying marks in each of the two subjects in Part I should be 35 per cent and aggregate marks should be 45 per cent.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7 Deduction upto 5% of the maximum marks in the descriptive paper will be made for illegible handwriting.

8. Credit shall be given for neat and methodical expression of ideas with due economy of words in the written answers.

9. The decision of the Ministry with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

10. Appearance of candidates in all the two papers is a must for qualifying in the examination. The Ministry has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

Part II

Liability to pass typewriting test. – The candidates, who qualify in the written examination, shall be required to pass a test in typewriting, at a minimum speed of 35 words per minutes in English or 30 words per minute in Hindi only on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) within a period of one year from the date of their appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of Competent Authority. The typewriting test will consist of a running matter of 10 minutes duration.

[F. No. 1(11)/2016-P.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.